RB/ESTT.No.13/2013

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

****

No.E(NG)I-2011/CFP/10 New Delhi, dated 19.02.2013

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक) Office of the General Manager (P) प्राप्ति RB-2944 21 FEB 2013 North Western Railway, Jaipur उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर

N.W.R.

The General Managers (P)
All Zonal Railways and
Production Units.
(As per standard list).

Sub:- Procedure for selection for promotion from GP Rs.1800 to GP Rs.1900 against departmental promotion quota.

In terms of the extant provisions as contained in para 189 of Indian Railway Establishment Manual (IREM), Vol.I, (Revised Edition-1989), First Re-Print-2009, 33-1/3% quota of posts in the lowest grade of Commercial Clerks, Ticket Collectors, Trains Clerks, Office Clerks and other categories of Clerks like Store Clerks etc. are to be earmarked for promotion of Railway servants in the categories carrying Grade Pay of Rs.1800, for whom no regular avenue of promotion exists; the Group 'C' categories being suitably linked with specified categories in Grade Pay of Rs.1800 on the basis of broad affinity of work.

2. It has been noticed that a few Railways are adopting different eligibility criteria and are allowing Trackmen to appear in the selection being conducted against 33-1/3% departmental promotion quota which is not consistent with the extant policy as Trackman/Gateman/Trolleyman have separate avenue channel of promotion as per para 181 of IREM ibid. The issue reached upto Central Vigilance Commission(CVC) who, in turn has desired that guidelines may be issued to all Zonal Railways regarding uniform interpretation of Para 181 to 189 of IREM and related instructions thereon.

3. In the light of the above, the matter has been considered. Ministry of Railways wish to state that the extant provisions contained in para 181 to 189 of IREM, Vol.I, (Revised Edition-1989), First Re-Print Edition-2009 and subsequent instructions issued thereon may be followed scrupulously and only eligible categories as specified may be allowed to appear in the selections being conducted for promotion from GP Rs.1800 to GP Rs.1900 against 33-1/3% departmental promotion quota.

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt(N)
Railway Board

महाप्रबन्धक, उत्तर-पश्चिम रेलवे 21 FEB 2013 जयपुर

आरबी /स्था. सं. 13/2013

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (एनजी)-I/2011/सीएफपी/10 नई दिल्ली, दिनांक 19 .02.2013

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: विभागीय पदोन्नति कोटा में ग्रेड पे ₹ 1800 से ग्रेड पे ₹ 1900 में पदोन्नति के लिए चयन की प्रक्रिया।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली (आईआरईएम), वॉल्यूम। (संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनःमुद्रण-2009 के पैरा 189 में अंतर्विष्ट मौजूदा प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक लिपिकों, टिकट कलेक्टरों, ट्रेन लिपिकों, कार्यालय लिपिकों एवं लिपिकों की अन्य कोटियों जैसे कि भंडार लिपिकों आदि के निम्नतम ग्रेड के पदों का 33-1/3% कोटा ₹ 1800 की ग्रेड पे वाली ऐसी कोटियों के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित किया गया है जिनके लिए पदोन्नति का कोई नियमित अवसर मौजूद न हो। मोटे तौर पर कार्य की सादृश्यता के आधार पर ग्रुप 'सी' कोटियों को 1800 के ग्रेड पे की विनिर्दिष्ट कोटियों के साथ उपयुक्त रूप से लिंक किया जाए।

2. यह देखा गया है कि कुछ रेलें 33-1/3% विभागीय पदोन्नति कोटा के अंतर्गत किए जा रहे चयन में ट्रैकमैनों को भाग लेने की अनुमति प्रदान कर पात्रता के विभिन्न मानदंड अपना रही हैं जो कि मौजूदा नीति के अनुरूप नहीं है क्योंकि आईआरईएम के पैरा 181 के अनुसार उक्त ट्रेकमैन/गेटमैन/ट्रॉलीमैन के लिए पदोन्नति के अलग अवसर उपलब्ध हैं। यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तक पहुंचा है, जिन्होंने वांछा की है कि सभी क्षेत्रीय रेलों को आईआरईएम के पैरा 181 से 189 और इससे संबंधित अनुदेशों के संबंध में समान व्याख्या करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

3. उपयुक्त को देखते हुए, इस मामले पर विचार किया गया है। रेल मंत्रालय चाहता है कि आईआरईएम वॉल्यूम। (संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनः-मुद्रण संस्करण-2009, के पैरा 181 से 189 में अंतर्विष्ट मौजूदा प्रावधानों और तत्पश्चात् इस संबध में जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और 33-1/3% विभागीय पदोन्नति कोटा के अंतर्गत ग्रेड पे ₹ 1800 से ग्रेड पे ₹ 1900 में पदोन्नति के लिए किए जाने वाले चयन में केवल यथानिर्धारित पात्र कोटियों को ही भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड